



भारतीय समाज में ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक पक्ष

रेनु शिवहरे

शोधार्थी, गृहविज्ञान, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, म०प्र०

संक्षिप्त रूप

महिलाओं को समाज या समुदाय से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होना उनकी सामाजिक स्वतंत्रता में वृद्धि करता है। आर्थिक सशक्तिकरण का अभिप्राय शक्ति प्रदान करने, मानसिक अथवा शारीरिक गतिविधियों के सम्पादन की क्षमता के विस्तार को दर्शाता है। वर्तमान में महिलायें अपनी क्षमताओं का विकास कर घरेलू कार्यों में बेहतर समायोजन कर रही हैं और घर तथा बाहर स्वतंत्रता की अनुभूति कर रही हैं। महिला सामाजिक स्वतंत्रता का मुख्य पक्ष महिलाओं के अस्तित्व का अधिकार और समाज द्वारा उसकी स्वीकारिता है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहाँ महिलाओं ने अपनी उपस्थिति न दर्ज की हो। यही कारण है कि वर्तमान में सरकार भी ऐसे विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है।

जिस प्रकार दोनों पंखों में समान शक्ति का अभाव हो तो पक्षी का उड़ना सम्भव नहीं होता है उसी प्रकार से स्त्रियों तथा पुरुषों के स्तर में समानता न हो किसी भी राष्ट्र का विकास असम्भव है। भारत में अभी भी स्त्रियों और पुरुषों में असमानता बनी हुई है इसी कारण से विकास की गति धीमी है प्राचीन भारत में नारी का स्थान जितना ऊँचा था अब नहीं है। फलस्वरूप देश की आर्थिक विकास का पक्ष कमजोर है। हमारी सरकार इन परिस्थितियों से जूझने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील है। महिलाओं का आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिये कई योजनाओं संचालित कर रही है।'

मनुस्मृति- 3/55 के श्लोक "यंत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" के अनुसार जहाँ नारी की पूजा की जाती है। वहाँ देवता निवास करते हैं। यह प्राचीनकाल में भारत के ऋषि-मुनियों ने नारी के महत्व को भली-भाँति समझा था, समय के परिवर्तन के साथ साथ स्त्रियों की स्थिति में भी परिवर्तन होता गया प्रेम, बलिदान समर्पण ही स्त्रियों के लिए विष बन गया। समाज में घृणित विचाराधारा ने उसका क्षेत्र केवल घर की चारदीवारी तक ही सीमित कर दिया समाज सुधारक गोस्वामी तुलसीदास ने सारी की इस स्थिति का चित्रण इन शब्दों में किया—

कत विधि सृजी नारी जग माही
पराधीन सपनेहुँ सुख नाही।।



मुगलकाल में परदा प्रथा आरम्भ हुई और स्त्री को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया, स्त्री ने स्वयं को पुरुषों के चरणों में समर्पित कर दिया, किन्तु पुरुषों ने उसे बन्धनों में जकड़ लिया, पुरुषों के किसी भी काम में दखल देना उसके लिए अपराध—सा हो गया था, इन सबका नारी को भी स्वयं ध्यान नहीं रहा राष्ट्रकवि मैथिलीकरण गुप्त ने नारी की इस सोचनीय दशा का वर्णन अपनी कविता की पंक्तियों में किया है।

अबला जीवन हाथ तुम्हारी यही कहानी
ऑचल में है दूध और आँखों में पानी।¹

इस लिये महिला स्वतंत्रता के लिये चलाए जाने वाले आंदोलन को स्त्री बनाम पुरुष की लड़ाई में बदलकर लड़ने की जरूरत नहीं है इनके सम्बन्ध सहयोगात्मक हो महिला तभी सशक्त होगी। महिला का सशक्त होना केवल उसके हित में नहीं बल्कि पुरुष के हित में भी है, बल्कि सारे समाज और राष्ट्र के हित में है। कोई भी समाज और राष्ट्र अपने आधे अंग महिला की मुक्ति और मजबूती के बिना उन्नति नहीं कर सकता।³

समय परिवर्तनशील है यद्यपि भारत को आज भी पुरुष प्रधान देश कहा जाता है कुल ग्रामीण महिला श्रम शक्ति का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा कृषि मजदूरी व महानगरीय एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं क्योंकि वहाँ शिक्षा नौकरी एवं उन्नति के अच्छे अवसर उपलब्ध है साक्षरता के क्षेत्र में महिलाओं के बढ़ते कदम भारत में महिलाओं की आर्थिक स्थिति की दिनों दिन और मजबूत कर रहे हैं चाहे कृषि उद्योग व्यवसाय इंजीनियर चिकित्सा, विज्ञान, रक्षा, राजनीति, लेखन आदि का क्षेत्र हो या संचालन क्षेत्र में आटो रिक्शा बस मेट्रो ट्रेन वह पायलट तक के कार्य में आगे आकर देश की आर्थिक समृद्धि में अपना योगदान दे रही है।⁴

ग्रामीण महिलाओं की स्थिति – किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ना है ,तो उसे अपनी आधी आबादी को तो मजबूत करना की पड़ेगा इस लिहाज से देखा जाए, तो भारत की महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया है शहरों की अपेक्षा गाँवों में भी लड़कियाँ पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं लड़कें और लड़कियों के बीच भेदभाव काफी हद तक कम हुआ।

पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी— पंचायती राज कार्यों में भी महिलाएँ पीछे नहीं हैं देश भर में 2.5 लाख पंचायतों में लगभग 32 लाख प्रतिनिधि चुन कर आ रहे हैं और इनमें से 14 लाख महिलाएँ चुन कर आ रही हैं महिलाओं की खुद के स्वाभिमान के लिए सकारात्मक संकेत है।

बदल रहा है समाज— महिलाओं की आर्थिक व शैक्षिक तथा मानसिक स्थिति में एक सकारात्मक बदलाव आया है, लेकिन अभी भी काफी कुछ करना बाकी है, कन्या भ्रूण हत्या आज भी सबसे बड़ी चुनौती है महिलाओं की सोच में बदलाव होने तथा उनकी भूमिका बढ़ने के बावजूद भी कन्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बेटी बचाओ, बेटी



पढ़ाओ योजना शुरू की क्योंकि अभी भी कई जगह बेटों की पढ़ाई पर लाखों खर्च करने वाले समाज बेटियों की पढ़ाई से मौन है इस स्थिति को बदलने की आवश्यकता है और समाज की अनेक रूढ़िवादी सोच में बदलाव व उन्हे जागरूक करना आवश्यक है।

समानता की कोशिश जारी – लैंगिक समानता प्राप्त करना तथा महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य है इस मामले में सरकार पूर्ण सजगता के साथ प्रयासरत् भी है वर्तमान सरकार ने भी न्याय कानून में संशोधन कर और बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ आदि योजनाएँ लाकर बहुत सारी उम्मीदें जगा दी हैं लैंगिक शर्त मानसिकता में बदलाव लाने की है महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में रूढ़िवादी सोच रुकावट बन जाती है।⁵

भारत में कामगारों का क्षेत्रवार वितरण 2011-12 प्रतिशत में

भारत में महिला रोजगार का वर्तमान परिदृश्य 2011-12 देश की सहतर फीसदी महिलाएँ ग्रामों में निवास करती हैं उनमें से तीस से पैंतीस प्रतिशत स्त्रियों के कंधों पर घर एवं कृषि का भार होता है। और वही घर की संचालिका एवं मुखिया होती हैं। भारत में स्त्रियों की भूमिका बहुआयामी होती है ग्रहणी एवं माता के रूप में वे घर परिवार की सम्मानती हैं। बल्कि इन कार्यों को करते हुये वे सभ्य निकालकर अर्थोपार्जन का कार्य भी करती हैं दिन भर के चौणीय घंटा में वे सालेह से अठारह घण्टे तक कार्यों में संलग्न रहती हैं अतः श्रम विभाजन के असन्तुलन के कारण स्त्रियों पुरुष की तुलना में अधिक घण्टों तक कार्य करती हैं।⁶

क्षेत्रवार वितरण	महिला कामगार	
	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
विनिर्माण	10	29
सामुदायिक सेवाएँ	2	17
शिक्षा	3	13
व्यापार	3	13
कृषि	75	11
स्वास्थ्य देखभाल	1	5
निर्माण	7	4
वित्त एवं स्थावर सम्पदा	0	5
अन्य	35.8	4
श्रम बल सहभागिता दर		20.5
कुल कामगारों की संख्या मिलियन में	94	23



कर्नाटक के ग्राम में अध्ययन के आँकड़े दर्शाते हैं कि गाँवों में कृषि कार्य गृह कार्य एवं औद्योगिक कार्य में कार्य कि कुल घण्टों में स्त्रियों 46 प्रतिशत पुरुष 25 प्रतिशत एवं बच्चे 17 प्रतिशत घण्टे कार्य करते हैं। केवल गृह कार्य में व्यतीत होने वाले कार्य के कुल घण्टों में महिलाओं 50 प्रतिशत तथा पुरुष 25 प्रतिशत एवं बच्चे 25 प्रतिशत घण्टे कार्य करते हैं।

भारतीय महिलाये शिशु को जन्म देकर उनका उचित पालन पोषण करके सामाजिक दायित्व भी निभाती है तथा आर्थिक सामाजिक विकास में उनका विशेष योगदान भी रहता है महिलाओं माता समुदाय की महत्त्वपूर्ण सदस्या का प्रवन्ध करती है। घर तथा घर में रहने वालों की देखभाल करती है तथा प्रेम स्नेह आश्रय विवेकपूर्ण सलाह देकर मार्गदर्शन करके मानव विकास में सहायक होती है।

शैक्षिक विकास में भी उनका योगदान रहता है यदि वे स्वयं पढ़ी लिखी होती हैं तो भी बच्चों को घर पर शिक्षा देती हैं। साथ ही वे घर में आर्थिक समृद्धि हेतु कार्य में संलग्न रहती हैं। साथ ही वे घर में आर्थिक समृद्धि हेतु कार्य में संलग्न रहती हैं।⁷

महिलाओं को समाज या समुदाय से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होना उनकी सामाजिक स्वतंत्रता में वृद्धि करता है। सशक्तिकरण का अभिप्राय शक्ति प्रदान करने, मानसिक अथवा शारीरिक गतिविधियों के सम्पादन की क्षमता के विस्तार को दर्शाता है। वर्तमान में महिलायें अपनी क्षमताओं का विकास कर घरेलू कार्यों में बेहतर समायोजन कर रही हैं और घर तथा बाहर स्वतंत्रता की अनुभूति कर रही हैं। महिला सामाजिक स्वतंत्रता का मुख्य पक्ष महिलाओं के अस्तित्व का अधिकार और समाज द्वारा उसकी स्वीकारिता है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहाँ महिलाओं ने अपनी उपस्थिति न दर्ज की हो। यही कारण है कि वर्तमान में सरकार भी ऐसे विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है जो महिलाओं के विकासोन्मुखी हों। जबकि पहले सरकार के पास केवल महिला कल्याणोन्मुखी योजनाएँ ही थी। स्त्रियों का सामाजिक, सार्वजनिक जीवन में प्रतिनिधित्व, दक्षता की वृद्धि उनके साथ होने वाले बुरे व्यवहार की समाप्ति सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति को दृष्टिगोचर करता है।⁸

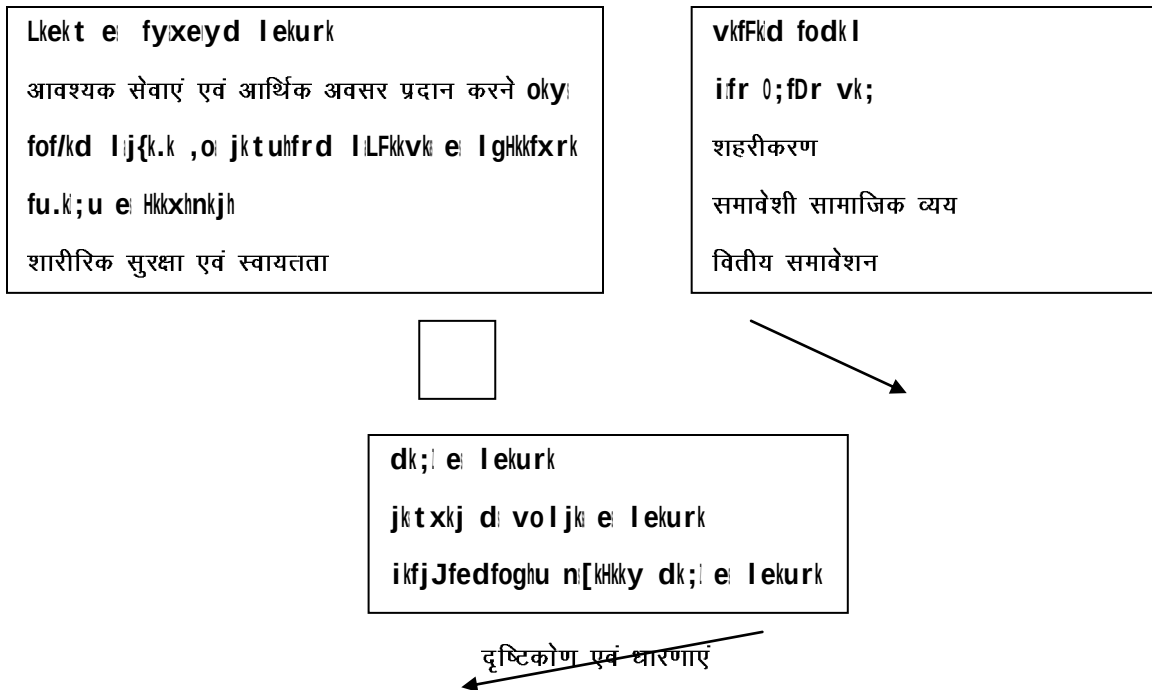
ग्रामीण महिलाओं द्वारा किये जाने वाले कार्य

- भूमि से सम्बन्धित कार्य— जीव जन्तुओं से सम्बन्धित कार्य
- पशु पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन मत्सय पालन, रेशम के कीड़े पालना
- वस्त्र उद्योग सम्बन्धी कार्य—
- रंगाई, छपाई, वॉधनी कार्य, वाटिक कार्य कशीदकारी, वस्त्रों की सलाई, बुनाई उद्योग



- हस्तशिल्प कार्य
 - चूड़ियों बनाना, चित्रकारी करना, गुडिया बनाना
 - ग्रामीण वन सम्पदा सम्बन्धी कार्य
 - बेत का सामान बनाना, सीको की झाड़ू बनाना, सूप टोकरी बनाना, फूल झाड़ू बनाना,
 - पलण्य दाने बनाना, मोमबत्ती ,चटाई , अगरबत्ती ,साबुन, मिट्टी के बर्तन व खिलौने बनाना
 - खाद्य सामग्री सम्बन्धी कार्य—
 - फलो के मुरब्बे बनाना, अचार बनाना पापड बनाना, दानो की वडिया बनाना, चिप्स बनाना, मसाले आदि पीसना, आटा पीसना,
- अन्य सेवाये— चाये की दुकान चलाना, सब्जी बेचना, पान बेचना ,फूल मालाये बेचना, फल बेचना , दूध ,दही घी बेचना सजावटी जामान बेचना,मजदूरी करना लतानीज महिलाओ हेतु चलाये जाये।

महिलाओ के कार्य मे समानता एवं आर्थिक विकास मे समानता का मूल मंत्र



राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 68वें चक्र के रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण 2011—12 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक सेवाओं, शिक्षा एवं व्यापार में लगी हुई हैं, जबकि ग्रामीण महिला कामगारी के लिए कृषि की प्रमुख व्यवसाय हैं। **सामाजिक** – आर्थिक – राजनीति धार्मिक आदि सभी क्षेत्र को में महिलाओ की स्थिति विश्व के लगभग सभी देशों मे कतिपय स्कण्डेवियायी देशों को छोडकर दोयम दर्ज की ही है



मानवाधिकारों, लोकतांत्रिक अधिकारी, व्यक्तिगत सुरक्षा की दुहाई देने वाले विकसित देशों –सं अमरीका, जापान, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि में भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं।

अतः ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए, जो कार्य नीति अपनाई जाए उसमें निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है—

1. माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च ग्रामीण शिक्षा में लिंगमूलक असमानता को पाटना।
2. सहगामी रोजगार अवसरों का सृजन करना।
3. अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।
4. वित्तीय क्षेत्र तक पहुँच को बढ़ाना, ताकि ग्रामीण महिला उद्यमियों को बेहतर वित्तीय सुविधाएँ मुहैया कराई जा सकें।
5. निजी क्षेत्रक संगठनों में लिंगमूलक विविधापूर्ण नीतियों एवं प्रवृत्तियों का प्रोन्नयन।
6. ग्रामीण महिलाओं हेतु विधिक प्रावधानों का सुदृढीकरण तथा इन कानूनों का बेहतर प्रवर्तन।
7. वर्तमान में महिलाओं को बड़े पैमाने पर उलझाए रखने वाले घरेलू कामकाज के बोझ से मुक्ति दिलाए जाने के लिए अधोरचना से जुड़े मुद्दों तथा सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान देना।
8. समानता स्थापित करने के लिए राजनीतिक एवं आर्थिक पहल और राज्य का हस्तक्षेप जितना अधिक आवश्यक है, उतना ही जरूरी सामाजिक दृष्टि में और ग्रामीण महिलाओं के प्रति रवैए में बदलाव लाए जाने की आवश्यकता है, इस दृष्टि से निम्नलिखित प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
9. वित्तीय प्रोत्साहन एवं सहायता।
10. नकदी हस्तान्तरण।
11. ऋण/ साख प्रदान करने में महिलाओं को प्राथमिकता।
12. सरकारी सहायता प्राप्त बाल देखभाल केन्द्र।
13. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम।
14. कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत बालिका छात्रवृत्ति तथा बालिका विद्यालयों को सहायता।
15. विद्यालयों में बालिकाओं के लिए स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान।
16. बालिकाओं की नामांकन दर नीची वाले क्षेत्रों में बालिका विद्यालयों की स्थापना।⁹

सन्दर्भ सूची—

1. प्रसार शिक्षा एवं संचार व्यवस्था गीता पृष्ठ 8 या जायस पृष्ठ 8 अग्रवाल पब्लिकेशन पृ संख्या 251।
2. प्रतियोगिता दर्पण – महिला सशक्तिकरण के लिए जारी प्रयास/मई/2016/पृ 92।



Jai Maa Saraswati Gyandayini

An International Multidisciplinary e-Journal

(Peer Reviewed, Open Accessed & Indexed)

Web: www.jmsjournals.in Email: jmsjournals.in@gmail.com

ISSN: 2454-8367

Vol. 3, Issue-I
July 2017

Impact Factor : 4.032 (IJIF)

UGC Approved e-Journal No. - 43919

e-ISJN: A4372-3118

3. प्रसार शिक्षा एवं संचार व्यवस्था गीता पृष्ठा जायस पुष्पां अग्रवाल पब्लिकेशन पृ संख्या 251 ।
4. प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2016 महिला सशक्तिकरण की दिशा मे बढ़ते कदम पृ 92 ।
5. प्रतियोगिता दर्पण – महिला सशक्तिकरण के लिए जारी प्रयास/मई/2016/पृ 93 ।
6. प्रतियोगिता दर्पण /नारी शक्ति उच्च आर्थिक समृद्धि एवं समृद्धि फरवरी 2016 पृ 74 ।
7. प्रसार शिक्षा एवं संचार व्यवस्था गीता पृष्ठा जायस पुष्पां अग्रवाल पब्लिकेशन पृ संख्या 244 ।
8. ठाकुर हंसराज छत्तीगढ में महिलाओं श्रम सहभागिता दर एक अध्ययन 1669 से 2009 जनगणना वर्ष 2015 पृ 3,4 ।
9. प्रतियोगिता दर्पण /नारी शक्ति उच्च आर्थिक समृद्धि एवं समृद्धि फरवरी 2016 पृ 74 ।